

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या:- 110 / सेक-2-पांच-18-5(294) / 2014टी0सी0

लखनऊ: दिनांक : 12 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 अशोक कुमार (वरिष्ठता क्रमांक-6987), तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर सम्प्रति निलम्बित द्वारा उक्त पद पर तैनाती की अवधि में वर्ष 2009-10 में जनपद बिजनौर में शासनादेशों एवं पी0आई0पी0 के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर बिना प्रक्रिया अपनाये मेसर्स जे0एम0 फार्मा से फर्जी अभिलेखों एवं बाजार से ऊंची दर पर दवाईयों का क्रय कर रू0 5,98,015/- की शासकीय क्षति कारित की गयी। प्रश्नगत अनियमिता हेतु डा0 अशोक कुमार के विरुद्ध शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1120/सेक-2-पांच-15-5(294)/2014टी0सी0, दिनांक 08.04.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए निदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया। डा0 अभिमन्यु कुमार द्वारा कारित शासकीय क्षति, गम्भीर कदाचार आदि हेतु कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1153/सेक-2-पांच-15-5(294)/2014टी0सी0, दिनांक 09.04.2015 द्वारा निलम्बित कर कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध किया गया है।

2- डा0 अशोक कुमार (वरिष्ठता क्रमांक-6987), तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1153/सेक-2-पांच-15-5(294)/2014टी0सी0, दिनांक 09.04.2015 द्वारा किया गया निलम्बन समाप्त कर सेवा में बहाल करते हुए डा0 अशोक कुमार को वरिष्ठ परामर्शदाता, मलखान सिंह जिला चिकित्सालय, अलीगढ़ के पद पर तैनात किये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

3- डा0 अशोक कुमार के विरुद्ध शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1120/सेक-2-पांच-15-5(294)/2014टी0सी0, दिनांक 08.04.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान रहेगी।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

वी0हेकाली झिमोमी

सचिव।

पू0सं0- 110 (1) / सेक-2-पांच-18, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- जांच अधिकारी/निदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुरादाबाद/अलीगढ़ मण्डल।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर।
- 7- मुख्य चिकित्स अधीक्षक, मलखान सिंह जिला चिकित्सालय, अलीगढ़।
- 8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बिजनौर/अलीगढ़।
- 9- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 10- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित चिकित्साधिकारी का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
- 11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)

अनु सचिव।